न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर R. 3306/II/2015

श्री दिवाकर दीक्षित एड.
द्वारा आज दि. 12-10-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– महेन्द्र असाटी पुत्र श्री सुरेशचन्द्र असाटी
2– गनेश प्रसाद असाटी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद असाटी

निवासी–वार्ड नं.–11 असाटी मोहल्ला, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

–– अपीलार्थीगण

बनाम

1– परमानन्द विश्वकर्मा पुत्र श्री रामदास विश्वकर्मा
निवासी – सिटी पोस्ट ऑफिस के पास, गांधी रोड़ जिला छतरपुर

2– शिवप्रताप सिंह शर्मा पुत्र श्री द्वारका नाथ शर्मा निवासी–ग्राम सौरा पॉवर स्टेशन के पास छतरपुर (म.प्र.)

–– प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/बी–105/13–14 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2013 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47'क' की उपधारा 4 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. अपीलार्थी का नाम पिता का नाम व्यवसाय एवं पता	:	महेन्द्र असाटी पुत्र श्री सुरेशचन्द्र असाटी गनेश प्रसाद असाटी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद असाटी निवासी–वार्ड नं.–11 असाटी मोहल्ला, जिला–छतरपुर (म.प्र.)
2. लिखित का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, व्यवसाय एवं पता	:	परमानन्द विश्वकर्मा पुत्र श्री रामदास विश्वकर्मा निवासी – सिटी पोस्ट ऑफिस के पास, गांधी रोड़ जिला छतरपुर शिवप्रताप सिंह शर्मा पुत्र श्री द्वारका नाथ शर्मा निवासी–ग्राम सौरा पॉवर स्टेशन के पास छतरपुर (म.प्र.)
3. लिखित के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का	:	अपीलार्थीगण स्वंय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग–3306/दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश महेन्द्र असाटी/परमानंद	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में वही तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 6.12.13 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि 2012(1) एम.पी. बीकली नोट नम्बर 10 एवं म0प्र0 स्टाम्प एक्ट में मैनडेटरी प्रावधान दिया गया है कि अपील के समय स्टाम्प कमी मुद्रांक के संबंध में जो बैनामा जप्त किया जाता है उक्त बैनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ होना आवश्यक है। उक्त प्रमाणित प्रति संलग्न न होने के आधार पर अपील अग्राह्य की गयी है। विचारोपरांत उपरोक्त परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश विधिअनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	